उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

संख्या 3263/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांकः 01 अगस्त, 2018

कार्यालय–आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांकः 07 मई, 2018 द्वारा यू.पी. रेरा के वेब पोर्टल पर परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन एवं पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं की एडिटिंग आदि के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत दिनांक 07 मई, 2018 तक पंजीकृत समस्त ऑन–गोईग परियोजनाओं तथा नवीन परियोजनाओं एवं सम्बन्धित प्रोमोटर्स के पंजीयन विवरण एवं डिटेल्स की अपडेटिंग एडिट फैसिलिटी का उपयोग करते हुए किया जाना अनिवार्य है। एडिट फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए दिनांक 06.06.2018 तक पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत तथा दिनांक 07.06.2018 से दिनांक 06.07.2018 तक पंजीयन शुल्क के 20 प्रतिशत धनराशि एडिटिंग फीस निर्धारित की गई थी।

रेरा के उपरोक्त कार्यालय आदेश दिनांकः 07 मई, 2018 को आदेश दिनांक 06.07.2018 द्वारा इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि दिनांक 20.07.2018 तक एडिटिंग शुल्क जमा करायी जा सकेगी एवं प्रोमोटर्स अपनी परियोजनाओं के विवरण दिनांक 31.07.2018 तक अपडेट/एडिट कर सकेंगे।

विभिन्न प्रोमोटर्स, जिनमें दिनांक 20.07.2018 तक एडिटिंग फीस जमा कर चुके प्रोमोटर्स भी सम्मिलित हैं, द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण/डिटेल्स अपडेट/पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता हैः–

(1) ऐसे प्रोमोटर्स जिन्होंने दिनांक 20.07.2018 तक एडिट शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें दिनांक 21.08.2018 तक अपने परियोजनाओं के विवरण एडिट करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(2) जिन प्रोमोटर्स द्वारा निर्धारित अवधि में एडिटिंग शुल्क जमा करके परियोजनाओं के विवरण तथा डाक्यूमेन्ट अपलोड करने की कार्यवाही नहीं की गई, उनके द्वारा एडिटिंग/अपडेटिंग के लिए अनुरोध किये जाने पर पूर्व निर्धारित एडिटिंग शुल्क परियोजना रजिस्ट्रेशन फीस का 20 प्रतिशत के साथ उसी के बराबर अर्थात् 20 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ एडिटिंग/अपडेटिंग की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा के अन्तर्गत दिनांक 31.08.2018 तक एडिटिंग शुल्क एवं पेनाल्टी जमा कर के दिनांक 15.09.2018 तक परियोजनाओं के विवरणों की एडिटिंग/अपडेटिंग पूर्ण की जायेगी।

----2

कार्यालय–आदेश संख्या 840/रेरा–वेबसाइट/2018–19 दिनांक 07.05.2018 में निर्धारित अन्य समस्त व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष रेरा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथॉरिटी।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9. रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोमोटर्स को पॅजीकृत ई–मेल आईडी के द्वारा अनुपालनार्थ।
10. अध्यक्ष तथा महामन्त्री, क्रेडाई, उ.प्र.।
11. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
सचिव रेरा